उत्तर प्रदेश शासन
उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2
संख्या-19/2017/सीपी 185/84-2-2017-सीपी 6/2013
लखनऊ : दिनांक : 17 मई, 2017
कार्यालय ज्ञाप

श्री उमेश चन्द्र, सेवानिवृत्त जिला जज पुत्र स्व0 हरीश चन्द्र यादव, 12/12, सेक्टर-12, इन्दिरानगर, लखनऊ की नियुक्ति शासन की अधिसूचना संख्या-67/सीपी 402(1)/84-2-2013-सीपी 6/2013, दिनांक 30.10.2013 द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम, मैनपुरी में अध्यक्ष (पूर्णकालिक) पद पर की गयी थी। इस आदेश के अनुपालन में श्री उमेश चन्द्र द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम, मैनपुरी में अध्यक्ष के पद पर दिनांक 01.11.2013 के अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण किया गया था।

2. निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 के पत्र संख्या-261/ एससीडीआरसी/अधि 67/13, दिनांक 19.04.2017 द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री उमेश चन्द्र ने अपने व्यक्तिगतकारणों से जिला उपभोक्ता फोरम, मैनपुरी के अध्यक्ष के पद से दिनांक 30.04.2017 से त्यागपत्र प्रस्तुत किया है। अत: निबंधक, राज्य आयोग ने उमेश चन्द्र का जिला उपभोक्ता फोरम, मैनपुरी के अध्यक्ष पद से दिये गये त्यागपत्र को दिनांक 30.04.2017 से स्वीकार करने का अनुरोध किया है।

3. अत: श्री राज्यपाल एतद्द्वारा निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 के अनुरोध के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त जिला उपभोक्ता फोरम, मैनपुरी के अध्यक्ष (पूर्णकालिक) पद से श्री उमेश चन्द्र, सेवानिवृत्त जिला जज पुत्र स्व0 हरीश चन्द्र यादव, 12/12, सेक्टर-12, इन्दिरानगर, लखनऊ द्वारा दिये गये त्यागपत्र को दिनांक 30.04.2017 से स्वीकार करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

कुमार अरविन्द सिंह देव
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।
प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्तखण्ड-1, गोमतीनगर, लखनऊ ।
(2) जिलाधिकारी, मैनपुरी ।
(3) कोषाधिकारी, मैनपुरी ।
(4) कार्यालय जिला उपभोक्ता फोरम, मैनपुरी (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)।
(5) श्री उमेश चन्द्र, सेवानिवृत्त जिला जज पुत्र स्व0 हरीश चन्द्र यादव, 12/12, सेक्टर-12, इन्दिरानगर, लखनऊ।
(6) गार्ड बुक।

आज्ञा से,
प्रेम शंकर राय
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in